

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(3)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक: ०२.०५.२०१७

—:: आज्ञा :: —

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ.7(2)साप्र / 5 / 06 दिनांक 27.10.2006 एवं इस विभाग के समसंबद्धक पत्र दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित/परिवर्तन/पुर्नरावंटन किया जाता है:-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	पूर्व वरियता संख्या	नवीन वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री नरेन्द्र कुमार भीणा, अधीक्षण अभियन्ता, भू-जल विभाग, जयपुर	7600/-	59/TH 2016	22/2016	19 OTH के स्थान पर F-3/3 NTH परिवर्तन
2	श्री जयनारायण, राजस्व आसूचना अधिकारी, राज्य राजस्व सूचना निदेशालय, जयपुर	6000/-	-	10/TH 2017	24 OTH के स्थान पर 01 OTH परिवर्तन
3	श्री दीपक गेहलोत, सहायक सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	6600/-	-	13/2017	F-4/1 OTH पुर्नरावंटन
4	डॉ० गोपाल सिंह बोचल्या, (आर०डी०एस०), सहायक आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर	5400/-	-	12/2017	F-4/2 OTH

राज्यपाल की आज्ञा से

इन्द्र सिंह राव
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-कृपया आवंटन पत्र वेबसाइट पर डालें।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव